समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

डीएफ - 1: प्रयोज्यता का क्षेत्र

क. समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है :

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् बैंक के रूप में निर्दिष्ट) मूल कंपनी है, जिस पर बासेल II रूपरेखा लागू है.

ख. समूह की संस्थाओं का संक्षिप्त ब्योरा देते हुए लेखांकन व विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में होने वाले अंतर की रूपरेखा:

समेकन का कार्य सभी लेनदेनों व इसी प्रकार की परिस्थितियों की अन्य गतिविधियों के लिए समान लेखांकन नीतियों के आधार पर किया गया है. सांविधिक / विनियामक आवश्यकताओं के कारण जहां व्यावहारिक नहीं है, वहां संबंधित कानून / विनियामक प्राधिकारी द्वारा अधिदेशित लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणपत्र भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों को शामिल किया गया है.

i. पूर्णत: समेकित की गई संस्थाएं :

क्र.सं.	सहायक संस्थाएं	कारोबार क्षेत्र
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि.	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं.
2	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है.
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	म्यूच्युअल फंड कारोबार की निगरानी और निरीक्षण करती है.

ii. समानुपातिक आधार पर समेकित की गई संस्थाएं : कोई नहीं.

iii. छोड़ दी गई संस्थाएं:

क्र.सं.	सहायक संस्थाएं	कारोबार क्षेत्र
1	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	जीवन बीमा कारोबार

iv. ऐसी संस्थाएं जो न तो समेकित की गई हैं, न ही छोड़ी गई हैं (अर्थात् जहां जोखिम भारित निवेश हों) :

क्र.सं.	सहायक संस्थाएं	कारोबार क्षेत्र
1	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड	आईटी क्षेत्र की गतिविधियों में लगी है.
2	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड	विभिन्न प्रकार की व्यापक कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवाएं उपलब्ध कराती है.

ग. समेकन में शामिल न की गयीं अर्थात् जो छोड़ दी गयीं सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की कुल राशि और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम : **कोई नहीं.**

घ. बीमा संस्थाओं, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (अर्थात् वर्तमान बही मूल्य) और साथ ही उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हित का अनुपात और हित, यदि अलग हो और उन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अलावा इस पद्धति बनाम कटौती या वैकल्पिक समूह-वार पद्धति को अपनाने पर विनियामक पूंजी पर प्रभाव - **कुछ नहीं.**

डीएफ - 2 :पूंजी संरचना

क. सारांश

रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूंजीगत निधियों को टीयर I व टीयर II पूंजी में वर्गीकृत करते हैं. टीयर I पूंजी के घटकों में चुकता इक्विटी पूंजी, सांविधिक रिज़र्व, अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व, पूंजी रिज़र्व तथा नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत शामिल हैं, जबकि टीयर II पूंजी के घटकों में पुनर्मूल्यन रिज़र्व, सामान्य प्रावधान एवं हानि रिज़र्व, मिश्रित ऋण पूंजी लिखत तथा पात्र गौण ऋण शामिल हैं.

यथा 31 मार्च 2013 को बैंक की टीयर I पूंजी के घटकों के ब्योरे निम्नलिखित हैं :-

i. टीयर I बांड : रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न किस्तों में ₹ 2,558.80 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) जुटाये गये. आईपीडीआई लिखत बेमीयादी स्वरूप के होते हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है. बैंक का जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) विनियामक अपेक्षाओं से कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता है. इसके अलावा अप्रदत्त ब्याज संचयी नहीं होता. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 100 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती थी तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

ii. अपर टीयर II बांड : ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न किस्तों में बैंक ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत प्रतिदेय अपर टीयर II बांडों (रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) के जरिए ₹ 4,286.20 करोड़ जुटाये. बैंक का सीआरएआर विनियामक अपेक्षाओं से कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता है. तथापि विनियामक अनुपालन के अधीन अप्रदत्त ब्याज की अदायगी बाद के वर्षों में की जा सकती है. ये बांड टीयर II पूंजी की गणना के प्रयोजनार्थ शेष परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से बट्टे के अधीन होंगे. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशानिर्देशों के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 100 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती है तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

iii. **गौण (निम्न) टीयर II बांड:** न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गौण (निम्न) टीयर II बांड विभिन्न किस्तों में जुटाए गए. 31 मार्च 2013 को ऐसे बांडों की कुल बकाया राशि ₹ 10,295.70 करोड़ (बट्टाकृत मूल्य ₹ 8,333.26 करोड़) रही. इन लिखतों के संबंध में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है. ये बांड भी टीयर II पूंजी की गणना के प्रयोजनार्थ शेष परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान क्रमिक रूप से बट्टे के अधीन होंगे. रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर ब्याज दर अधिकतम 50 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि के विकल्प के साथ हो सकती है तथा इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है. तथापि रिज़र्व बैंक ने अपने 20 जनवरी 2011 के परिपत्र द्वारा इस प्रकार के उत्तरोत्तर वृद्धि विकल्प को बंद कर दिया है.

ख. टीयर I व टीयर II पूंजी के रूप में गणना किए जाने वाले लिखतों की प्रमुख विशेषताएं

विवरण	जारी करने की तारीख	31.3.2013 को बकाया राशि (करोड़ रुपये)	औसत	भारित औसत कूपन (% वार्षिक)	वर्तमान रेटिंग
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	विभिन्न तारीख़ों को	2,558.80	बेमीयादी (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन)	9.40 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/ स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्टेबल आउटलुक के साथ)
अपर टीयर II बांड	विभिन्न तारीख़ों को	4,286.20	15 (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन)	9.69 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/ स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्टेबल आउटलुक के साथ)
गौण (निम्न) टीयर II बांड	विभिन्न तारीख़ों को	10,295.70*	12	9.10 @	क्रिसिल द्वारा 'एए+/ स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए+' (स्टेबल आउटलुक के साथ)

कॉल ऑप्शन के संयोजन के साथ अधिकांश बांड श्रृंखलाओं में 50 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि
@ प्रयोज्य मामलों में कॉल ऑप्शन के प्रयोग के साथ 25 आधार बिंदु की उत्तरोत्तर वृद्धि
* 31 मार्च 2013 को ₹ 8,333.26 करोड़ का बट्टाकृत मूल्य

ग. पूंजी संरचना

यथा 31 मार्च 2013 को	(₹ करोड़)
टीयर I पूंजी की राशि	
टीयर I पूंजी	
प्रदत्त शेयर पूंजी	1332.75
रिज़र्व	18229.62
नवोन्मेषी लिखत	2558.80
सकल टीयर I पूंजी	22121.17
कटौतियां :	
सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश	192.00
अमूर्त परिसंपत्तियां	9.85
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1730.32
अन्य	24.32
निवल टीयर I पूंजी (क)	20164.68
टीयर II पूंजी की राशि	
टीयर II पूंजी	
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	793.25
अपर टीयर II निवेश	4286.20
लोअर टीयर II निवेश	8333.26
सामान्य प्रावधान	1064.23
सकल टीयर II पूंजी	14476.94
कटौतियां :	
सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश	192.00
अन्य कटौतियां	24.32
निवल टीयर II पूंजी (ख)	14260.62

समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

यथा 31 मार्च 2013 को	(₹ करोड़)
कुल पात्र पूंजी (क + ख)	34425.30
वर्ष 2012-13 के दौरान जुटायी गई पूंजी	
टीयर I	1405
अपर टीयर II	-
लोअर टीयर II	1505
कुल	2910

डीएफ-3: पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित जोखिमों के विरुद्ध कुशन के रूप में तथा अपने जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए पूंजी रखता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को कारोबार रणनीति के अनुसार अपनी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर विचार किया जाता है. इसके अलावा ब्याज दर और नकदी स्थिति के संबंध में बाजार की हलचल पर भी विचार किया जाता है. साथ ही पूर्वानुमानों में सुस्पष्टता दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

रिज़र्व बैंक की नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) सीआरएआर की गणना की कार्य-पद्धति नियत करता है जो बैंक की जोखिम समायोजित परिसंपत्तियों की तुलना में उसकी कुल पूंजी का अनुपात है. बैंक के सीआरएआर की गणना तिमाही आधार पर की जाती है और अनुपात निकालने के लिए ऋण, बाजार तथा परिचालनगत जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है. बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाज़ार जोखिम हेतु मानकीकृत मापन पद्धति और परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है.

31 मार्च 2013 को बैंक के सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार रही :

सीआरएआर %	न्यूनतम अपेक्षा	एकल	समेकित
टीयर - I	6%	7.68%	7.75%
कुल	9%	13.13%	13.23%

वर्तमान व भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा-निर्धारण और पूर्वानुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूँजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है. आईसीएएपी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास चालू तथा भावी आवश्यकताओं के साथ अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूँजी का पर्याप्त स्तर है. इस कार्य में विभिन्न दबाव परिदृश्य भी शामिल किए जाते हैं, जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूँजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी परिदृश्य के प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. दबाव परीक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है और दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है.

बासेल III

संभावित भावी आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र की समुत्थान-शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से और बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) ने 16 दिसंबर 2010 को बासेल III पर दिशानिर्देश जारी किये. पूंजी पर बासेल III नियमों में पूंजी की गुणवत्ता, सुसंगतता और पारदर्शिता में सुधार लाना, जोखिम सुरक्षा को बढ़ाना, अनुपूरक लीवरेज अनुपात लागू करना, अग्र-चक्रियता को कम करना और प्रति-चक्रियता बफर को बढ़ावा देना तथा प्रणालीगत जोखिम और अंत:संबद्धता पर कार्रवाई करना शामिल है. बासेल III नियमों में चलनिधि व्याप्ति अनुपात शामिल होता है जो अल्पकालिक चलनिधि का एक माप है और जिसका उद्देश्य दबावग्रस्त स्थितियों को पूरा करने के लिए चलनिधि बफर निर्मित करना है और जो दीर्घकालिक संरचनात्मक निधीयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीर्घावधि निवल स्थिर निधीयन अनुपात का माप है.

बासेल III संबंधी दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा 2 मई 2012 को जारी किये गये और बैंक रिज़र्व बैंक के अनुबंधों के अनुसार इन मानदंडों में स्वयं को अंतरित करेगा. बासेल III मानदंडों का मुख्य फोकस टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा है. ये विनियामक अपेक्षाएं वर्तमान में बैंक के पास उपलब्ध पूंजी की मात्रा को पूरी करेंगी. आगे चलकर बैंक को बढ़ती कारोबारी जरूरतों को पूरा करने और बासेल III अनुबंधों में योजनाबद्ध चरण के लिए पूंजी निधियों, विशेषकर सामान्य ईक्विटी निधि आवश्यकताओं को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी.

यथा 31 मार्च 2013 को समेकित आधार पर बैंक का सीआरएआर निम्नलिखित है :

(राशि ₹ करोड़)

(क) ऋण जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	20774.37
प्रतिभूतिकरण	0.10
(ख) बाजार जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	631.68
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	31.50
इक्विटी जोखिम	1101.40
(ग) परिचालन जोखिम पूंजी	

मूल संकेतक दृष्टिकोण	887.45
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी	23309.97
	(प्रतिशत)
कुल एवं टीयर I पूंजी का अनुपात	
टीयर I (%)	7.75%
कुल (%)	13.23%

डीएफ 4 : ऋण जोखिम-सामान्य प्रकटन

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न हो सकता है.ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा अन्य ऋण कार्यकलापों के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढाँचा बनाया गया है. जोखिम अभिशासन ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारी निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग संबंध तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है.

क. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक ने न्यूनतम प्रक्रमों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्योन्वित किये हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं. बैंक की ऋण नीति ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक कणिक कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है. कॉरपोरेट रणनीति की बोर्ड द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता है.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण, उद्योग को ऋण सहायता और अप्रतिभूति ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियाँ हैं.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गतिकी की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक मुख्य साधन है.

बैंक ने बासेल II की अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है. यह रेटिंग के लिए एक द्वि-आयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केंद्रीकृत रूप में की जाती है. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपयुक्त रेटिंग समिति आतंरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है.

ख. अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है. इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) को ऐसे ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां :

- मीयादी ऋण में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.
- बैंक द्वारा क्रय किए गए या भुनाई किए गए बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हों.

समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो.
- खाता लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें यथा तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण प्रावधानों के अनुसार उचित प्रावधान करता है. गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में रिज़र्व बैंक का वर्गीकरण मानदंड एनपीए के लिए लागू मानदंडों के समान ही हैं.

ग. यथा 31 मार्च 2013 को ऋण सहायता

i. ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के लिए लाभ पर विचार किए बिना कुल ऋण सहायता:

(₹ करोड)

श्रेणी	बकाया राशि	
	देशी	विदेशी
निधि आधारित*	184619.98	11686.47
गैर-निधि आधारित#	91811.49	1589.20

* अग्रिमों से संबंधित

एलसी, बीजी, एलईआर और स्वीकृतियों सहित

ii. सर्वाधिक सहायता प्राप्त 20 उद्योग

(₹ करोड़)

क्रम सं.	उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल ऋण सहायता
1	बिजली	31361.43	17932.03	49293.46
2	तेल एवं गैस / पेट्रोलियम पदार्थ	11837.06	13066.32	24903.38
3	आवास ऋण	24811.02	0.00	24811.02
4	लोहा एवं इस्पात	15253.73	8417.46	23671.19
5	सड़क, पुल / पोर्ट	11463.54	11331.34	22794.88
6	इंफ्रास्ट्रक्चर (अन्य)	9464.09	8306.51	17770.60
7	बैंकिंग	12508.74	3356.51	15865.25
8	दूरसंचार सेवाएं	10087.98	5630.77	15718.75
9	एनबीएफसी	13973.59	308.07	14281.66
10	निर्माण	3975.67	9188.27	13163.94
11	सामान्य मशीनरी एवं उपकरण	3548.69	8324.43	11873.12
12	टेक्सटाइल	9995.33	1781.64	11776.97
13	व्यापार	7534.11	4075.55	11609.66
14	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	9611.09	644.66	10255.75
15	धातु एवं धातु उत्पाद (लोहा व इस्पात को छोड़कर)	5240.66	4063.00	9303.66
16	आवास वित्त कंपनियां	8708.73	402.13	9110.86
17	उर्वरक	3240.62	4540.00	7780.62
18	सीमेंट	6589.21	1084.93	7674.14
19	रसायन और रसायन उत्पाद	3332.30	3131.62	6463.92
20	चीनी व चीनी उत्पाद	5014.08	1343.40	6357.48
	कुल	207551.67	106928.64	314480.31

iii. 31 मार्च 2012 को बैंक की एकल आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़)

परिपक्वता अवधि	परिसंपत्तियां				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां	कुल परिसंपत्तियां
पहला दिन	5385.39	10242.92	1569.85	658.82	17856.98
2 से 7 दिन	3600.97	10703.38	2560.76	46.75	16911.86
8 से 14 दिन	104.47	24.94	2350.21	219.62	2699.24
15 से 28 दिन	465.11	34.87	2454.66	163.19	3117.83
29 दिन से 3 माह	1281.12	4004.91	12715.39	852.52	18853.94
3 माह से अधिक व 6 माह तक	1879.28	1354.89	7021.95	474.70	10730.82
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1763.25	1760.92	11367.61	94.55	14986.33
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	2248.30	12700.11	82149.33	23.16	97120.90
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	440.89	12472.79	25330.25	3443.72	41687.65
5 वर्ष से अधिक	755.74	45501.20	48786.44	3759.58	98802.96
कुल	17924.52	98800.93	196306.45	9736.61	322768.51

घ. 31 मार्च 2013 को अनर्जक परिसंपत्तियां

(₹ करोड)

एनपीए की राशि (सकल)	6449.98
क) अवमानक	2144.45
ख) संदिग्ध 1	1856.11
ग) संदिग्ध 2	2069.45
घ) संदिग्ध 3	183.20
ड़) हानि	196.77
च) निवल एनपीए राशि	3100.36
छ) एनपीए अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	3.22%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.58%
ज) एनपीए में घट-बढ़ (सकल)	
• आरंभिक शेष	4551.37
• परिवर्धन	2739.69
• कटौतियां	841.08
• अंतिम शेष	6449.98
झ) एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़	
• आरंभिक शेष	1640.44
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2177.25
• घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र में अंतरित	0
• बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	564.32
• अंतिम शेष	3253.37
ञ) अनर्जक निवेशों की राशि	853.95
ट) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	410.63
ठ) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़	
आरंभिक शेष	1110.96
अवधि के दौरान प्रावधान	371.44
बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	256.58
अंतिम शेष	1225.82

समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

डीएफ-5: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

बैंक पूंजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. एनसीएएफ के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्व फिच (इंडिया), ब्रिकवर्क तथा स्मेरा द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत तरीके से तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र ऋण सहायताओं के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.

जोखिम भारिता के प्रयोजन के लिए पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम सहायता की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

किसी कॉरपोरेट ऋण सहायता के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की बकाया राशि और विभिन्न ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों को छोड़कर जोखिम समूहों में गैर-निधि आधारित गैर-बाजार सम्बद्ध सुविधाओं की बकाया राशि निम्नानुसार है

(₹ करोड़)

जोखिम-भार	कुल बकाया राशि
100% से कम	191793.48
100 % पर	125643.67
100 % से अधिक	40469.40
पूंजी से कटौती	48.64
कुल	357955.19

डीएफ-6 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है. ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है. बैंक के पास संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकी पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं.

तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहाँ बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है. यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है जो निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है.

बैंक द्वारा ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियाँ, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं. तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगा और ऑटो ऋण के लिए वाहन होगा. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है. तथापि, यह सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा अशर्त होती है. संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं (एए तथा इससे उच्च बाह्य रेटिंग वाली संस्थाएं)) को एनसीएएफ में निर्धारित रूप में पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण की जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिपक्षी को ऋण जोखिम, उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है. मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें ऋण सहायता और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है. पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूँजी बचत का लाभ उठाने के लिए ऋण सहायता की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है. ऋण सहायता का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्तेकि एनसीएएफ में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता	8070.70	15437.91
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता	3105.31	12312.60

* गैर-बाज़ार संबद्ध

जहां रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2013 को ऋण सहायता की राशि ₹ 2105.20 करोड़ थी.

डीएफ-7 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

बैंक की मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-सहायता में पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश शामिल हैं और इसमें द्वितीय हानि तथा चलनिधि सुविधा के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना भी शामिल है. इन ऋणों/ प्राप्य राशियों को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी / एमएफआई से प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है.

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है

i. **निवेशक:** निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है.

ii. **ऋण वृद्धि प्रदाता:** खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं. इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है. चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वाहों में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए हैं.

क.	**बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :**	
	प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य, उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक इन कार्यकलापों को करता है. ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जोखिम प्राप्तकर्ता को पूर्णतः अंतरित हो जाता है.
	अन्य जोखिमों का स्वरूप	कुछ नहीं
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने निवेशक, ऋण वृद्धि तथा चलनिधि सुविधा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिकाएं अदा की हैं: (₹ करोड़)

क्र.सं.	अदा की गई भूमिका	लेन-देनों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	निवेशक	33	3740.78
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा)	2	48.64
3	चलनिधि सुविधा प्रदाता	1	5.67

	प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाज़ार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण	बैंक ने खुदरा ऋणों के समूह / संपत्ति पर ऋण (लैप) द्वारा समर्थित पीटीसी प्राप्त किये हैं. समूह को एएए(एसओ)/एए(एसओ) रेटिंग प्राप्त है और पर्याप्त ऋण वृद्धि (सीई) द्वारा समर्थित हैं. बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग, मार्क-टु-मार्केट तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है.
	प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण.	बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के 7 मई 2012 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है..
ख	**प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:**	
	लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण .	प्रतिभूतिकृत कागजात के अर्जन को बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है.
	प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित)	प्रतिभूतिकृत कागजात को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फिम्मडा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है.
	गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	शून्य
	उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन-पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं.	रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार देयताएं तुलनपत्र में दर्शायी जाती हैं.

समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

ग	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेशों को क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग प्राप्त है.
मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही		
घ	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि	द्वितीय हानि सुविधा के जरिए ₹ 48.64 करोड़ चलनिधि सुविधा के जरिए ₹ 5.67 करोड़
ङ	वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता	शून्य
च	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि	शून्य
छ	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि.	शून्य
ज	प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये.	शून्य
झ	निम्न की कुल राशि :	
	ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन-पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण	(₹ करोड़) विवरण: द्वितीय हानि सुविधा 36.27; चलनिधि सुविधा 5.67; कुल 41.94
	ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन-पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण.	₹ 12.37 करोड़ की द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी की गई बैंक गारंटी
ञ	प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त	(₹ करोड़) सुविधा: 100% सीसीआर पर राशि; रेटिंग; जोखिम भार चलनिधि सुविधा: 5.67; एएए (एसओ); 20%
	ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण	₹ 48.64 करोड़ की द्वितीय हानि सुविधा जिसमें से ₹ 24.32 करोड़ टीयर I पूंजी घटाया जाना है और टीयर II पूंजी से ₹ 24.32 करोड़ घटाया जाना है.
मात्रात्मक प्रकटनः व्यापारिक बही		
ट	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाज़ार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अर्जित प्रतिभूतिकृत कागज़ात : ₹ 3984.11करोड़ 31 मार्च 2013 को बकाया प्रतिभूतिकृत कागज़ात : ₹ 3740.78 करोड़
ठ	निम्न की कुल राशि :	
	ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण; तथा	क्रय किए गए प्रतिभूतिकृत ऋण : ₹ 3984.11 करोड़ बकाया प्रतिभूतिकृत ऋण : ₹ 3740.78 करोड़
	ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण.	शून्य

ड	निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि : विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण ; तथा विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण	शून्य 31 मार्च 2013 को बकाया प्रतिभूतिकृत ऋण : 3740.78 करोड़ रुपये
ढ	निम्न की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन	(करोड़ रुपये)

सुविधा	100% सीसीआर पर राशि	रेटिंग	जोखिम भार
निवेश	298.07	एएए(एसओ)	20%
	2558.87	एए(एसओ)	30%
निवेश बकाया	760.64	ए(एसओ)	50%
	123.20	बीबीबी(सीओ)	100%

	ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण	शून्य

डीएफ-8: व्यापार बही में बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं. ये नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. कारोबार आवश्यकताओं व आर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है.

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन-पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके. एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाज़ार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

बैंक बाज़ार जोखिम नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, आधार बिंदु का कीमत मूल्य, हानि रोको सीमाएं, संभाव्य भावी ऋण सहायता, तनाव परीक्षण आदि शामिल हैं.

निवेश एवं डेरिवेटिव नीतियां रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं. निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं. डेरिवेटिव नीति में वित्तीय डेरिवेटिव में लेन-देन करने के बारे में दिशा निर्देश दिये गये हैं. बैंक ग्राहकों के जोखिम प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव उत्पाद (स्वैप तथा ऑप्शन) प्रदान करता है जो मुख्यत: दुतरफा आधार पर किये जाते हैं. बैंक बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति के एक भाग के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र जोखिम सीमाओं के अधीन ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा ऑप्शन पर स्वाम्य व्यापारिक बही भी संचालित करता है.

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है

i. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंध.

ii. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.

iii. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त व उचित रिपोर्टिंग.

समेकित पिलर III प्रकटन (मार्च 31, 2013)

iv. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण.

v. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.

बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) ट्रेज़री परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन , निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है. यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व प्रक्रिया में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

i. **प्रत्यायोजन:** ट्रेज़री परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं. एमआरजी संबंधित नीतियों में यथा वर्णित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता है.

ii. **नियंत्रण:** सिस्टम आधारित नियंत्रण व्यवस्था जो यह प्रदर्शित करता है कि पर्याप्त डाटा एकीकरण मौजूद है. इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखापरीक्षा के लिए भी किया जाता है.

iii. **अपवाद संचालन प्रक्रिया:** नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे लागू किया जा रहा है और अपवाद को न्यूनतम रखा जा सके. सीमाओं के उल्लंघन / अपवाद, यदि कोई हो, को प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा तुरंत दूर किया जाता है.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक अपेक्षानुसार विभिन्न विनियामक रिपोर्टें भी प्रस्तुत करता है.

बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग जोखिम मानदंड तय किए हैं. इन जोखिम मानदंडों के बारे में एमआरजी स्वतंत्र रूप से आकलन व वरिष्ठ प्रबंध को रिपोर्टिंग करता है.

बैंक द्वारा अपने जोखिमों पर निगरानी रखने के लिए अपनाए जाने वाले जोखिम मानदंडों में संशोधित अवधि, आधार बिंदु का मूल्य (पीवी 01), हानि रोको, अंतर सीमा, निवल आरंभिक स्थिति की सीमा, ऑप्शन ग्रीक्स आदि शामिल हैं. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

(₹ करोड़)

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
क	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार**	**911.67**
	i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर	312.80
	ii) इक्विटी पर	598.87
	iii) डेरिवेटिव पर	0.00
ख	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार**	**852.91**
	i) ब्याज दर संबंधी लिखतों पर	314.93
	ii) इक्विटी पर	502.53
	iii) विदेशी मुद्रा पर	31.50
	iv) बहुमूल्य धातुओं पर	
	v) डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प)	3.95
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख)	1764.58
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	19606.40

डीएफ-9 : परिचालन संबंधी जोखिम:

परिचालन संबंधी जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बाहरी घटनाओं के कारण होता है. बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालन जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंध (ओआर और बीसीएम) नीति है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य कारोबार में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान, निर्धारण और उसकी सीमाओं का पता लगाना और उनको कम करना है. यह इन जोखिमों की निगरानी और इनको कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है.

बैंक ने प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंध और सशक्त परिचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए एक सक्षम संगठनात्मक ढाँचा तैयार किया है. बैंक ने शीर्ष स्तर पर परिचालन जोखिम के विविध पहलुओं की निगरानी के लिए परिचालन जोखिम समूह(ओआरजी) नाम से शीर्ष स्तर की प्रबंध समिति का गठन किया है. बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंध की मुख्य भूमिका कनिष्ठ प्रबंधन को उनके परिचालन जोखिम को बेहतर तरीके से समझने और प्रबंध करने में सहायता करना है. परिचालन जोखिम प्रबंध कार्यकलापों पर एक समीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति(आरएमसी) को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है.

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की संगणना हेतु बीआईए का पालन कर रहा है. तथापि, उन्नत परिमापन दृष्टिकोण (एएमए) में अपेक्षित परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में बैंक, अपने परिचालनगत जोखिम प्रबंध प्रणाली और प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहा है.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

आपदा के दौरान अबाधित बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने तथा विनियामकीय मानदंडों के अनुपालन हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तैयार की है. बीसीपी दस्तावेज, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार बाधित होने की स्थिति में तौर-तरीकों और इसके बाद बीसीपी द्वारा अपनाई जानेवाली नवीन प्रक्रिया को रेखांकित करता है. बैंक के भीतर लागू कारोबार निरंतरता प्रबंध, जिसमें महत्वपूर्ण हिस्से और सहायता कार्य शामिल हैं, को विश्व स्तर पर मान्य बीएस 25999 प्रमाणन प्रदान किया गया है.

डीएफ-10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंकिग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़नेवाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक के अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करता है.

ब्याज दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश्य जोखिम के स्रोत की पहचान कर उपयुक्त पद्धति से उनका परिमाण मापना है. इस कुल ढाँचे के अंतर्गत परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधियन, उधार और तुलन पत्र से परे रणनीतिया भी शामिल हैं. आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भावी असर के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है. तुलन पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करता है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख़, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवाली धारणाओं में कोर बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना, मूल चालू खाता जमाराशियों को '1 वर्ष से 3 वर्ष तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को '3 माह से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख़ नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव का मापन करने के लिए किया जाता है.

एल्को ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव देती है / निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर ही ब्याज दर जोखिम का प्रबंध किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.

31 मार्च 2013 के अनुसार अर्जन में संभाव्य गिरावट (वृद्धि) तथा ऊर्ध्वमुखी (अधोमुखी) ब्याज दर आघात के संबंध में सामान्य पद्धति से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का परिमाण निम्नानुसार है

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता (जोखिम पर आर्थिक मूल्य)
एनआईआई पर प्रभाव	ईवीई पर प्रभाव
149.62	1009.70